(21)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्याः– 2/2025 दायरा दिनांक 18.02.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रामकन्या बाई पुत्री नन्दा उर्फ नन्दलाल पत्नि रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी बोरेडा तहसील किशनगंज जिला–बारां राजस्थान, हॉल मुकाम गुर्जर मोहल्ला अयाना जिला कोटा।
2. कसनी बाई पत्नि नन्दा उर्फ नन्दलाल जाति गुर्जर निवासी बोरेडा तहसील किशनगंज जिला–बारां राजस्थान
3. छीतरलाल पुत्र नन्दा उर्फ नन्दलाल जाति गुर्जर निवासी बोरेडा तहसील किशनगंज जिला–बारां राजस्थान।
4. मोहनलाल पुत्र नन्दा उर्फ नन्दलाल जाति गुर्जर निवासी बोरेडा तहसील किशनगंज जिला–बारां राजस्थान।

– अपीलान्टगण

– बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां राज०

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–
श्री विजय प्रकाश नागर :– अभिभाषक, अपीलान्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण क्रमांक 209 दिनांक 13.05.2018 ग्राम बोरेडा, तहसीलदार किशनगंज

निर्णय **दिनांक 22.04.2025**

अपीलान्टगण द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 209 दिनांक 13.05.2018 ग्राम बोरेडा को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, किशनगंज के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि :– ग्राम बोरेडा पटवार हल्का मायथा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज.) के माल में आराजी खाता संख्या नया 23 खाता संख्या पुराना 35 के खसरा संख्या 105 रकबा 1.4800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 135/38 रकबा 0.0300 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5100 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जो प्रार्थना पत्र की विषय वस्तु है। जिसे प्रार्थना पत्र में आगे विवादित आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है।

उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण के संयुक्त काश्त की पुश्तेनी आराजी है। जो उन्हें मृतक खातेदार नन्दा उर्फ नन्दलाल के फोत होने पर नामान्तरकरण संख्या 209 से प्राप्त हुई है। वक्त नामान्तरकरण सहवन से कसनीबाई पत्नि नन्दा उर्फ नन्दलाल की पत्नि के स्थान पर पुत्री तथा रामकन्या बाई पुत्री नन्दा उर्फ नन्दलाल को सहवन से नन्दा की पत्नि दर्शा दिया गया है। जो गलत है, इसलिए उक्त नामान्तकरण को प्रार्थीगण निरस्त करवाकर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करवाने के अधिकारी है।

(22)

नामान्तरकरण नम्बर 209 ग्राम बोरेडा को निरस्त कर मृतक खातेदार नन्दा उर्फ नन्दलाल के स्थान पर रामकन्या बाई पुत्री कसनी बाई पत्नि, छीतरलाल व मोहनलाल पुत्रान नन्दा उर्फ नन्दलाल जातिगण गुर्जर निवासीगण बोरेडा तहसील किशनगंज दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार किशनगंज को प्रदान किये जावें।

अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल नम्बर 209 की जानकारी दिनांक 16.12.2024 को हुई। उसके बाद अपीलान्ट ने नकल प्राप्त कर उक्त कार्यवाही प्रस्तुत की है। नकल दिनांक 16.12.2024 से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है तथा पृथक से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एकपक्षिय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्टस के पिता व पति नन्दा उर्फ नन्दलाल का स्वर्गवास हो चुका है। नन्दा उर्फ नन्दलाल की खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करते समय तहसीलदार किशनगंज द्वारा वक्त नामान्तरकरण सहवन से अपीलान्ट क्रम 1 रामकन्या बाई पुत्री नन्दा उर्फ नन्दलाल को सहवन से नन्दा की पत्नि तथा अपीलान्ट क्रम 2 कसनीबाई पत्नि नन्दा उर्फ नन्दलाल की पत्नि के स्थान पर पुत्री दर्शा दिया गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान वकील अपीलान्टगण के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्टगण ने बताया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट क्रम 1 रामकन्या बाई पुत्री नन्दा उर्फ नन्दलाल को सहवन से नन्दा की पत्नि तथा अपीलान्ट क्रम 2 कसनीबाई पत्नि नन्दा उर्फ नन्दलाल की पत्नि के स्थान पर पुत्री दर्ज किया गया है। जो गलत है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम बोरेडा का इंतकाल नं. 209 दिनांक 13.05.2018 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगंज को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्टगणों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर अपीलान्टगणों की बल्दियत की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। मूल इंतकाल नं. 209 निर्णय दिनांक 13.05.2018 की प्रति सहित तहसीलदार किशनगंज को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद (बारां)